# न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज॰)

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस )

प्रकरण सं0 08 / 2016

दायर दिनांकः—28.10.2016
फैसल दिनांकः—29.11.2017

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर

प्रार्थी....

बनाम

श्री कावा पिता नाथुजी, निवासी नलवा बरोठी, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर

अप्रार्थी....

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए**
**आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत**

**उपस्थित**—1. प्रवर्तन निरीक्षक, राजकीय पैरोकार

## — निर्णय —

यह प्रार्थना—पत्र प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी कार्यालय डूंगरपुर ने विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उदयपुर—अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम पंचायत बरोठी एवं लेहणा घाटी पंचायत आसीयावाव बिछीवाडा में पेट्रोलियम पदार्थ का विपक्षी द्वारा भण्डारण किये जाने से विपक्षी के कब्जे से कुल 200 लीटर डीजल, 3 खाली ड्रम, जरिकेन व मापक आदि जप्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत डिजल आदि के निस्तारण (राजसात) करने हेतु प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर द्वारा उदयपुर, अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोलियम पदार्थ का कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैद्य भण्डारण की सूचना पर पुलिस थाना बिछीवाडा को इन स्थल पर अचानक दबिश देकर अवैद्य गोदामों को सील कर जाप्ता तैनात करने के निर्देश दिये गये। थानाधिकारी बिछीवाडा द्वारा सूचना किये जाने पर श्री मनीष भटनागर प्रवर्तन अधिकारी एवं कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा जिला कलक्टर महोदय से निर्देश प्राप्त कर ग्राम पंचायत बरोठी स्थित मुकाम पर पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में जांच हेतु गये। मौके पर पुलिस जाप्ता द्वारा श्री मगनलाल फलेजा के मालिकाना हक वाले अवैद्य भण्डारण स्थल को खोला जाकर, प्रार्थी व अन्य गवाहानों के समक्ष निरीक्षण किया गया। मौका जांच के वक्त श्री कावा पिता नाथुजी विपक्षी ने उपस्थित मौतबिरान व जांच दल को बताया कि उक्त भण्डारण स्थल पर उनके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ डिजल के क्रय—विक्रय हेतु भण्डारण का उपयोग लिया जा रहा है। मौका जांच में गवाहन, मौतबिरान व भण्डारण स्थल का भौतिक सत्यापन करने पर पेट्रोलियम पदार्थ डिजल के 1 ड्रम (220 लीटर क्षमता) में 200 लीटर व 3 खाली ड्रम में कुल 200 लीटर डीजल

पाये गये तथा 4 जरिकेन 20 लीटर क्षमता के खाली, मापक 1 (5 लीटर) के पाये गये। मौके पर उपस्थित विपक्षी को उक्त भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ डीजल के भण्डारण करने बाबत पूछने पर उनके पास कोई सक्षम अनुज्ञापन प्राप्त नहीं होना बताते हुए क्रय कर विक्रय हेतु भण्डारण करना बताया। उक्त अवैद्य भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ डीजल कुल 1 भरा हुआ ड्रम 200 लीटर, 3 खाली ड्रम, 4 प्लास्टिक के जरिकेन व मापक 1 को जप्त सरकार कर विपक्षी के कब्जे से पाप्त कर पुलिस थाना बिछीवाड़ा को सुपूर्द किया गया। विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ डिजल का अवैद्य कारोबार करने हेतु अनाधिकृत रूप से भण्डारित करना पाया गया। यह प्रार्थना–पत्र प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर ने बिना किसी सुरक्षा उपायो के उक्त पेट्रोलियम पदार्थ डीजल का भण्डारण किये जाने से कभी भी दूर्घटना घटित होकर भारी जान–माल की क्षति संभावित थी। प्रार्थी का उक्त डीजल का अवैद्य भण्डारण किया जाना नियम विरूद्ध हैं। प्रार्थी का कृत्य मोटर स्प्रीट एवं हाई स्पीड़ डीजल (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई, ड्रिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन आफ मेल प्रेक्टीस) आदेश 2005 के नियम 3 (4, 5) नियम 4 का स्पष्ट उल्लंघन होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः उक्त स्थिति में जप्तशुदा 200 (मय ड्रम) लीटर डीजल, 3 खाली ड्रम, 4 जरिकेन व 1 मापक को प्रार्थी द्वारा राजसात (निस्तारण) करने का अनुरोध किया गया।

अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 11.01.2017 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

पत्रावली में विभागीय पेरोकार की एक पक्षीय बहस समायत की गई। विभागीय पेरोकार ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया।

विभागय पेरोकार ने विपक्षी के मालिकाना हक के स्थल पर भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ डीजल का अवैद्य भण्डारण बिना किसी अनुज्ञा–पत्र एवं सक्षम स्वीकृति के किया जाना नियम विरूद्ध हैं। पेट्रोलियम पदार्थ डीजल की 200 लीटर अवैद्य भण्डारण से सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किये गये, जिससे कभी भी बडी दुर्घटना कारित होकर जान–माल की क्षति होने की सम्भावना हो सकती हैं। प्रार्थी द्वारा बिना किसी सक्षम अनुज्ञा एवं स्वीकृति उक्त जप्तशुदा 200 लीटर डीजल एवं तत्संबंधी साम्रगी 3 खाली ड्रम, जरिकेन 4, मापक 1 को मोटर स्प्रीट एवं हाई स्पीड़ डीजल (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई, ड्रिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन आफ मेल प्रेक्टीस) आदेश 2005 के नियम 3 (4, 5) नियम 4 के विरूद्ध अवैद्य रूप से भण्डारण करने का कृत्य कारित किया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से राजसात करने का अनुरोध किया। विपक्षी ने मामले के बचाव में किसी प्रकार के साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किये हैं। विपक्षी अनुपस्थित होने से उक्त 200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ डिजल एवं तत्संबंधी साम्रगी के भण्डारण हेतु किसी प्रकार के साक्ष्य एवं सबूत

तथा बहस में बचाव पक्ष के तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा उक्त डिजल को क्रय–विक्रय करने हेतु अवैद्य भण्डारण किया गया हैं।

हमारे द्वारा पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अध्ययन पक्षकारों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा बिना किसी सक्षम अनुज्ञा एवं स्वीकृति के अत्यन्त ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ 200 लीटर डिजल का अवैद्य भण्डारण किया जाना प्रमाणित हैं। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ डीजल के अवैद्य रूप से बिना सुरक्षा व्यवस्था के भण्डारण किये जाने से दुर्घटना कारित होने की सम्भावना बनी रहती हैं, जिससे जान–माल की भारी क्षति होने की भी सम्भावना बनी रहती हैं। विपक्षी के अनुपस्थित रहने से मामले में प्रतिरक्षण के कोई साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त जप्तशुदा डीजल को क्रय–विक्रय किये जाने के लिये अवैद्य भण्डारण किया गया हैं। विपक्षी का यह कृत्य मोटर स्प्रीट एवं हाई स्पीड़ डीजल (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई, ड्रिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन आफ मेल प्रेक्टीस) आदेश 2005 के नियम 3 (4, 5) नियम 4 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जप्तशुदा 200 लीटर डिजल व तत्संबंधी सामग्री को राजसात किया जाना उचित हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर बरोठी स्थित श्री मगनलाल फलेजा के मालिकाना हक स्थल से कुल 200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ डीजल, 3 खाली ड्रम, 4 जरिकेन (प्लास्टिक 20 लीटर क्षमता) मापक 1 (5 लीटर) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात/जप्त सरकार करते हुए पुलिस थाना बिछीवाडा की अभिरक्षा में रखा गया। डिजल व तत्संबंधी सामग्री प्राप्त कर डिजल के अधिकृत विक्रेता के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम दर पर वितरण कराकर उससे प्राप्त राशि जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर में अमानत के तौर पर सक्षम न्यायालय के निर्णय तक जमा रखने का ओदश दिया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर उक्त डीजल व तत्संबंधी जप्तशुदा सामग्री का उपरोक्तानुसार निस्तारण करावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी डूंगरपर भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनागया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर